न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- करतार सिंह पूनीयाँ आर.ए.एस

अपील सं0 05/2015
आरसीएमएस नं. 2015/00034

1. गोपीराम पुत्र स्व0 श्री ख्यालीराम
2. राणी धर्मपत्नी
3. लीलाधर पुत्र
4. राकेश पुत्र
5. दुर्गा पुत्री
6. सन्तोष पुत्री

} नेतराम अकवाम बावरी निवासी 27 जेआरके ढाणी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

बनाम

1. सावित्री पुत्री स्व0 श्री जैसाराम धर्मपत्नी श्री जगदीश जाति बावरी, निवसी श्यामगढ तहसील रायसिंह नगर जिला श्रीगगानगर।
2. स्टेट जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा जिला हनुमागनढ।

– रेस्पोडैन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 आरटीएक्ट
विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 30.09.2014
द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, पीलीबंगा
प्रकरण संख्या 23/2012 बअनवान गोपीराम आदि बनाम सावित्री देवी आदि

श्री लालचन्द वर्मा अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री अजयसिंह चौहान अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 1
श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो सं0 2

निर्णय दिनांक – 16.9.22

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलाण्ट सं0 1 व स्व0 श्री नेतराम ने रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के विरूद्व वाद में वर्णित 8 बीघा भूमि में प्रतिकूल धारण के आधार पर खातेदारी की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा तथा खाता विभाजन हेतु वादपत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय में के समक्ष रेस्पोडेण्ट सं0 1

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

उपस्थित आई लेकिन उसने कोई जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किया। विचारण न्यायालय ने अपीलधीन निर्णय एवं डिक्री के द्वारा अपीलाण्ट वादीया का वादपत्र खारिज किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट द्वारा उक्त वाद पत्र में शपथ–पत्र प्रस्तुत करने के बाद उनके अधिवक्ता ने उन्हें बताया कि जब भी इस मुकदमा में निर्णय होगा अपीलांट व स्व0 श्री नेतराम को सूचित कर दिया जावेगा। इस बीच नेतराम गंभीर रूप से गुर्दा की बीमारी से ग्रस्त हो गया तथा अपीलांट संख्या 1 उसकी बीमारी के कारण चिन्ताग्रस्त रहकर अपने अधिवक्ता से सम्पर्क नहीं कर सका। बीमारी के कारण नेतराम का देहान्त हो गया अपीलांट मुत्योपरान्त धार्मिक एवं सामाजिक रस्मों में व्यस्त रही इसलिए समय पर अपील प्रस्तुत नहीं कर पाई। अतः अपील में हुए विलम्ब को क्षमा किया जावे एवं अपील अंदर मियाद शुमार की जावे। विचारण न्यायलाय का अपीलाधीन निर्णय कतई गलत–विधि विपरीत एवं पत्रावली पर प्रस्तुत अकाट्य साक्ष्य को अनदेखाकर अधीनस्थ न्यायालय ने पारित किया है। प्रश्नगत भूमि पर अपीलांट ने स्व0 श्री जैसाराम के देहान्त उपरान्त निरन्तर एवं निर्बाध रूप से कब्जा काश्त होने की व रेस्पोडेंट सं0 1 के अधिकारों को इन्कार करते हुए साक्ष्य प्रस्तुत की थी। अधीनस्थ न्यायालय ने यह मत व्यक्त कर कि प्रश्नगत भूमि अकेले रेस्पोडेण्ट के नाम है इस कारण अपीलांट खाता विभाजन का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है जो कतई गलत है। अपीलांट एवं स्व0 श्री नेतराम ने प्रश्नगत भूमि में बहिस्सा बराबर का खातेदार अधिकारी घोषित करने का अनुतोष चाहा था तथा इस भूमि का खाता विभाजन वादीगण अर्थात अपीलाण्ट संख्या सं0 व स्व0 नेतराम के मध्य किये जाने हेतु निवेदन किया था। प्रश्नगत भूमि पर वादीगण का लगतार 30–35 वर्षों से कब्जा काश्त है। इस कारण अपीलाण्ट इस भूमि में खातेदार घोषित करवाने एवं खाता विभाजन करवाने के अधिकारी हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दू पर कोई गौर नही किया है। अपीलांट सं0 2 से 6 स्व0 श्री नेतराम के प्रथम श्रेणी के वारिसान हैं अतः यह अपील प्रस्तुत करने के अधिकारी हैं। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट ने खाता विभाजन का अनुतोष चाहा है जबकि यह भूमि संयुक्त खाता की भूमि नहीं है। रेस्पोडेण्ट सं0 1 के एकल स्वामित्व की है। इसलिए धारा 53 आरटीएक्ट के तहत अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं हैं। 35 वर्ष से कब्जा काश्त होने का कोई साक्ष्य पेश

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

नहीं किया है। विचारण न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री विधि सम्मत है। अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

5. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने विधि अनुसार निर्णय पारित करने का कथन किया।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र सशपथ होने एवं अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने के कारण प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

8. अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में खाता विभाजन का अनुतोष चाहा गया जबकि यह भूमि संयुक्त खाता की नहीं है। रेस्पोडेण्ट सं0 1 की एकल खातेदारी है इसलिए अपीलाण्ट धारा 53 आरटीएक्ट के तहत अनुतोष पाने के वादीगण हकदार नहीं है। अपीलाण्ट ने एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी की घोषणा चाही गई है। और दावे में अंकित किया है कि जेसाराम द्वारा यह भूमि वादीगण को दी गई थी परन्तु उन्होंने सा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे साबित हो कि यह भूमि वादीगण को जैसाराम ने दी थी एवं यह भूमि पूर्व में जैसाराम की थी। इस संबंध में किसी प्रकार का लिखित व राजस्व अभिलेख पेश नहीं किया है। प्रश्नगत भूमि पर 35 वर्ष से कब्जा काश्त हो यह भी साबित नहीं किया है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाने योग्य है।

9. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.09.2014 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

10. निर्णय आज दिनांक 16.9.22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

16/9/22
(करतारसिंह पूनीयॉ)
आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

डिक्री व सीगे अपील
न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
बइजलास करतार सिंह पूनियॉ आर0ए0एस0

अपील सं0 05/2015
आरसीएमएस नं. 2015/00034

1. गोपीराम पुत्र स्व0 श्री ख्यालीराम
2. राणी धर्मपत्नी
3. लीलाधर पुत्र
4. राकेश पुत्र
5. दुर्गा पुत्री
6. सन्तोष पुत्री

(2 से 6) नेतराम अकवाम बावरी निवासी 27 जेआरके ढाणी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

बनाम

1. सावित्री पुत्री स्व0 श्री जैसाराम धर्मपत्नी श्री जगदीश जाति बावरी, निवसी श्यामगढ तहसील रायसिंह नगर जिला श्रीगगानगर।
2. स्टेट जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा जिला हनुमागनढ।

– रेस्पोडैन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 आरटीएक्ट
विरुद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 30.09.2014
द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, पीलीबंगा
प्रकरण संख्या 23/2012 बअनवान गोपीराम आदि बनाम सावित्री देवी आदि

आज यह अपील रूबरू हाजिर श्री लालचन्द वर्मा अधिवक्ता अपीलाण्ट, श्री अजयसिंह चौहान अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 1, श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो सं0 2 की बहस समायत की जाकर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.09.2014 यथावत रखा जाता है।

डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 16.9.22 को जारी की गई।

(करतार सिंह पूनियॉ) आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ